

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1886 / 2021

दिनांक 26.08.2021

श्री हरिओम शर्मा "अत्री" (RJ0167), न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय कम-02, जयपुर महानगर-II को दिनांक 27.04.2021 से 29.04.2021 तक 03 दिनों का क्वारेन्टाइन अवकाश (Quarantine Leave) स्वीकृत किया जाता है।

श्री अत्री की अनुपस्थिति में न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय कम-01, जयपुर महानगर-II ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय कम-02, जयपुर महानगर-II के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/32/2013/5339

दिनांक 26.08.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय कम-02, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 512 दिनांक 17.08.2021 के सन्दर्भ में ।
3. श्री हरिओम शर्मा "अत्री" (RJ0167), न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय कम-02, जयपुर महानगर-II
4. न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय कम-01, जयपुर महानगर-II

सहायक रजिस्ट्रार